



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25022026-270446
CG-MH-E-25022026-270446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 920]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 18 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 964(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 11 जुलाई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3124(E) तारीख 8 जुलाई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "अहमदनगर-बीड-परली-वैजनाथ (261 किमी) – नई लाईन, महाराष्ट्र" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी, माजलगांव, बीड जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक रणझुंजार", और "लोकाशा" में तारीख 10-08-2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले के अंतर्गत लोणवळ गाँव का विशेष रेल परियोजना “अहमदनगर-बीड-परली-वैजनाथ (261 किमी) – नई लाईन, महाराष्ट्र” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारण प्रणाली	7/12 के अनुसार कुलक्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	मालमत्ता		
									बोरवेल/विद्युत	बांधकाम	पेड़
1	1243/2025	लोणवळ	वडवनी	अनिल रामदासजी जाजू	39	1	5.41	0.24	0	0	0
						कुल	5.41 (हे.आर.)	0.24 (हे.आर.)			

[फा. सं. G197/ANG-Beed-Parli-Vaij/Lonval VIg/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th February, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 964(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3124(E) dated 8th July 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 11th June, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008)), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Ahmednagar-Beed-Parli-Vaijnath (261 Km.) New Line Maharashtra” in the district of Beed in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SDO Majalgaon daily Marathi newspapers namely “Dainik Ranjhunjar” & “Lokasha” on dated 10-08-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “Ahmednagar-Beed-Parli-Vajinath (261 Km.) New Line Maharashtra” for village Lonval in the District Beed in the State of Maharashtra.

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of village	Taluka	Name of Land Holder(s) as per 7/12	Survey No./Gutt No.	Land Tenure System	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Assets		
									Borewell/ well	Constructions	Tree
1	1243/2025	Lonval	Wadwani	Anil Ramdas Jaju	39	1	5.41	0.24	0	0	0
						Total	5.41 (Ha.)	0.24 (Ha.)			

[F. No. G197/ANG-Beed-Parli-Vajj/Lonval Vlg/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)